उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन
कल्याण योजना समिति

केन्द्रीय कार्यालय "विकास भवन" 132 के0 वी0 सब स्टेशन माजरा, जिला – देहरादून।

–: संविघान :–

संस्था का नाम – उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन कल्याण योजना समिति।

संस्था का पता – "विकास भवन" 132 के0 वी0 सब स्टेशन माजरा, जिला – देहरादून।

संस्था का कार्यक्षेत्र – उत्तराखण्ड राज्य।

संस्था की सदस्यता – उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, यूजेवीएन लिमिटेड, उत्तराखण्ड विद्युत पारेषण निगम लिमिटेड में कार्यरत अवर अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता संवर्ग से प्रोन्नत अभियन्ता अधिकारी इस योजना के सदस्य निम्न नियमों के अर्न्तगत बन सकते हैं।

1. योजना का प्रवेश शुल्क 101 रू एवं सदस्यता वार्षिक शुल्क रू 500 होगा। प्रतिवर्ष जनवरी माह में सदस्यता वार्षिक शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा कल्याण योजना की सदस्यता निलंबित हो जायेगी। सदस्यता वार्षिक शुल्क जमा कराने पर कल्याण योजना सदस्यता बहाल हो जायेगी। जमा सदस्यता वार्षिक शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

2. योजना की सदस्यता ग्रहण करने हेतू उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन का अधिकृत सदस्य होना अनिवार्य होगा।

3. योजना के सदस्य की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर रू एक लाख की सहायता राशी उसके परिवार को प्रदान की जायेगी।

4. प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति कल्याण योजना की स्थिति पर विचार कर भविष्य के लिये सहायता राशी बढाने का निर्णय कर सकेगी।

5. सदस्यता की समाप्ति– सदस्य द्वारा विभाग छोडने अथवा उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन की सदस्यता छोडने या निष्कासित किये जाने पर कल्याण योजना की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

6. संस्था के अंग :–

   अ. साघारण सभा ब. पदाधिकारी स. प्रबन्ध कार्यकारिणी द. विशिष्ट कार्यकर्ता

7. <u>साघारण सभा</u>

   अ. गठन :– योजना के सभी सदस्य मिलकर "साघारण सभा" गठित करेंगे।

   ब. बैठक :– साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जायेगी।

   स. कोरम :– सदस्य संख्या का 10 प्रतिशत या 25 जो कम हो।

   द. कर्तव्य :– साधारण सभा पदाधिकारीयों / प्रबन्ध कार्यकारिणी के कार्यो का अवलोकन करेगी

और आवश्यकतानुसार अन्तिम निर्णय करेगी।

8. पदाधिकारी :– केवल अधिकृत योजना सदस्य ही पदाधिकारी हो सकेंगे। पद निम्न होंगे।

अ. अध्यक्ष – एक पद ब. उपाध्यक्ष – एक पद

स. सचिव – एक पद द. लेखानिरीक्षक – एक पद

पदाधिकारीयों का चयन प्रबन्ध कार्यकारिणी के सदस्यों में से ही प्रबन्ध कार्यकारिणी करेगी।

9. पदाधिकारीयों के अधिकार एवं कर्तव्य :–

अ. अध्यक्ष – 1. समिति तथा प्रबन्ध कार्यकारिणी की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।
2. अन्य पदाधिकारीयों को आवश्यक निर्देश देंगे।

ब. उपाध्यक्ष –1. सचिव के साथ संयुक्त रूप से बैक खाते का संचालन करेंगे।
2. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों का सभापतित्व करेंगे।

स. सचिव – 1. समिति सम्बन्धी पत्र व्यहवार करेंगे और समिति के अभिलेखों का रख रखाव करेंगे।
2. आय व्यय का लेखा जोखा रखेंगें
3. बैठकों की कार्यवाही लिखेंगे।
4. उपाध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से बैक खाते का संचालन करेंगे।

द. लेखानिरीक्षक – समिति के लेखे की समय समय पर जॉच कर अध्यक्ष को आख्या प्रस्तुत करेंगे।

10. प्रबन्ध कार्यकारिणी :–

अ. गठन :– प्रबन्ध कार्यकारिणी का गठन निम्न प्रकार होगा :–

(1) उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन के केन्द्रीय अध्यक्ष, केन्द्रीय महासचिव, केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन की उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड शाखा एवं यूजेवीएन लिमिटेड शाखा के अध्यक्ष, महासचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रबन्ध कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे। केन्द्रीय अध्यक्ष, केन्द्रीय महासचिव कल्याण योजना समिति के पदाधिकारी नहीं हो सकेंगे।

(2) उपरोक्त सात सदस्य प्रबन्ध कार्यकारिणी के लिये सात अन्य सदस्यों का मनोनयन करेंगे।

(3) कल्याण योजना समिति के निवर्तमान पदाधिकारी प्रबन्ध कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्य होंगे।

(4) उपरोक्त से गठित प्रबन्ध कार्यकारिणी पदाधिकारीयों का चुनाव करेगी।

बैठक :–

प्रबन्ध कार्यकारिणी की बैठक अध्यक्ष के निर्देश अथवा अनुमति से सचिव द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य बुलाई जायेगी।

कोरम :– प्रबन्ध कार्यकारिणी की कुल संख्या का 50 प्रतिशत होगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति :– रिक्त स्थानों की पूर्ति कल्याण योजना समिति के अध्यक्ष द्वारा सचिव की सलाह पर की जायेगी।

कर्तव्य :– प्रबन्ध कार्यकारिणी, कल्याण योजना समिति के लिये शुल्क, चन्दा, दान, अनुदान संग्रहित करने, कोष के रखरखाव तथा सहायता वितरण के लिये विशेष रूप से उत्तरदायी होगी और एतदर्थ पदाधिकारीयों का सहयोग करेगी।

कार्यकाल :– पदाधिकारीयों का कार्यकाल दो वर्ष होगा, परन्तु उत्तराधिकारी का चयन होने तक कार्यरत रहेंगें।

11, विशिष्ट कार्यकर्त्ता :– प्रत्येक परियोजना एवं जनपद से किसी एक सदस्य को कल्याण योजना समिति के सचिव के द्वारा विशिष्ट कार्यकर्त्ता मनोनीत किया जायेगा जो उस क्षेत्र में योजना के प्रसार एवं व्यवस्था में सचिव कल्याण योजना को सहयोग देगा।

12. नियमावली में संशोधन :– नियमावली में संशोधन प्रबन्ध कार्यकारिणी के दो तिहाई सदस्यों की सहमति से ही हो सकेगा।

13, संस्था का कोष :–

(अ) योजना के लिये प्राप्त एवम संकलित धनराशी का खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की देहरादून शाखा अथवा उत्तराखण्ड विद्युत कर्मचारी सहकारी समिति ई सी रोड देहरादून में होगा।

(ब) खाते का संचालन संयुक्त रूप से कल्याण योजना के उपाध्यक्ष एवं सचिव करेंगे।

(स) कोष में अधिकतम पचास हजार रूपये बचत खाते में और शेष धनराशी सावधि जमा खाते में रखा जायेगा।

(द) कल्याण योजना का पैन कार्ड अलग बनेगा।

(य) कार्यालय के रखरखाव एवं समिति कार्यो का अन्य व्यय बचत खाते के ब्याज से किया जायेगा आवश्यकता पडने पर एतदर्थ विशेष अनुदान संग्रहित किया जायेगा।

14. सहायता विधि :–

(अ) सदस्य की मृत्यु होने की सूचना मिलने पर सचिव तत्काल(तीन दिन के अन्दर ही) उसके परिवार को संदेश एवं नामांकित उत्तराधिकारी के नाम रू 25000 का क्रास चेक भेजेंगे।

(ब) सहायता की उपरोक्त पहली किस्त की रसीद प्राप्त हो जाने के बाद उपरोक्त विधि से ही रू 75000 की दूसरी किस्त एक माह के अन्दर भेज दी जायेगी।

15. विवाद :–

(अ) योजना पर अथवा योजना द्वारा दायर किये गये मुकदमें की पैरवी समिति की ओर से कल्याण योजना के सचिव करेंगे।

(ब) सदस्यता, चुनाव अथवा योजना के आपसी विवाद का निपटारा एक उपसमिति के द्वारा होगा जिसके सभापति कल्याण योजना के अध्यक्ष होंगे और उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन के केन्द्रीय अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के द्वारा मनोनीत विवाद सम्बन्धित तीन व्यक्ति उसके सदस्य होंगे।

16. संस्था के अभिलेख :–सदस्यता रजिस्टर, प्रवेश पत्र, उत्तराधिकारी नामांकन पत्र, रसीद बुकें, क्रमांकित कैश बुक आदि संस्था के अभिलेख होंगे।

17. प्रतिबद्धता :– संस्था उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन से प्रतिबद्ध रहेगी।

18. यदि किसी समय योजना के सदस्यों की संख्या लगातार दो वर्ष तक 200 से कम रह जाये तो योजना को समाप्त कर दिया जायेगा।

19. इस योजना को समाप्त करने की स्थिति में कोष में बची धनराशी सदस्यों में बॉट दी जायेगी।

नोट :– सहायता का प्रारम्भ कल्याण योजना की सदस्य संख्या कम से कम 200 हो जाने के बाद ही किया जायेगा।

उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन कल्याण योजना समिति

नामांकन पत्र

सदस्य का विवरण :–

1. सदस्य का पूरा नाम ....

2. पिता का नाम ....

3. उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन की सदस्यता संख्या ....

4. (अ) विभागीय पद ....

(ब) विभाग में नियुक्ति की तिथि ....

(स) विभागीय वरिष्ठता कमांक/आइडेन्टीफिकेशन संख्या ....

5. वर्तमान पता ....

....

6. स्थायी पता ....

....

सदस्य द्वारा घोषणा पत्र :–

मैने उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन कल्याण योजना समिति की नियमावली पढ ली है। मैं इस योजना का सदस्य बनना चाहता/चाहती हूँ। नियम 3 के अर्न्तगत मैं निम्नलिखित परिवार के सम्बन्धियों को वरीयतानुसार नामित करता हूँ।

कम संख्या	परिवार के सम्बन्धी का नाम	सदस्य से सम्बन्ध	आयु
1			
2			
3			
4			

दिनांक   सदस्य के
हस्ताक्षर

समिति के कार्यालय के प्रयोग हेतू :–

1. सदस्यता शुल्क रसीद संख्या एवं दिनांक...

2, कल्याण योजना सदस्यता संख्या ....

सचिव के हस्ताक्षर